

15/19 वकील उमय पक्ष उपप/पत्रावली वारहे वरस
हेतु दिनांक 17-6-19 को पेश है

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

17/19 वकील उमय पक्ष उपप/पत्रावली वारहे वरस
हेतु दिनांक 29.7.19 को पेश है

उप जिला कलक्टर
बामनवास (जिला-स०मा०)

19/19 वकील उमय पक्ष उपप/पत्रावली वारहे वरस
हेतु दिनांक 30.7.19 को पेश है

उप जिला कलक्टर
बामनवास (जिला-स०मा०)

30/19 पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पक्ष उपप
वरस वकील सायल की एक पक्षीय सुनी
गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया
मुगाबिठ राजस्व रिमाई विवादित भूमि सायल
के पिता व जैर सायल की सह खाते दारी भूमि
राजस्व रिमाई में दर्ज है। जिसके कारण
जैर सायल वर्ग को जारी असुराई निषेधज्ञा
से पाबंद किया जाना आवश्यक है।

अतः मूल दावे के निस्तारण हेतु जैर सायल
वर्ग को जारी असुराई निषेधज्ञा से पाबंद
किया जाता है। ग्राम बामनवास फ.कलां के
आ.ख.नं. 6377, 6376, 5712, 5713, 5706,
कुल क्षिा 2.46 हेक्टर व ख.नं. 3845,
3866, 5706, 5712, 5713, 5788, 8256/5706
8257/5712, 6331, 6332, 6376, 6377, 6651
के उपभोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे।
न किसी अन्य को रहन बस हस्ता. करे।

पत्रावली फौजदारी भूमा लोकवाद उकनील वरस
शाखिल की जावे। तथा मूल दावे के साथ सलिय
है।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (जिला-स०मा०)

